

UNIVERSITY OF DELHI Establishment Branch-II(i)

NOTIFICATION

The Competent Authority of the University of Delhi has constituted the following Committee for the revision of course of Post Graduate Diploma in Cyber Security and Law (PGDCSL) under the aegis of Institute of Cyber Security and Law (ICSL), with immediate effect:

1. Prof. Sanjeev Singh, Joint Director, SDC

Chairperson

- Member Secretary

- 2. Prof. A.K. Mohapatra, Indira Gandhi Delhi Tech. Univ. for Women
- 3. Dr. Anuradha Chug, Guru Gobind Singh Indraprastha University
- 4. Dr. Ashish Joshi, Guru Gobind Singh Indraprastha University
- 5. Shri Ashish Gupta, Industry Expert
- 6. Shri Gaurav Vyas, Industry Expert
- 7. Dr. Kshitij Kumar Singh, Faculty of Law
- 8. Prof. Ajay Jaiswal, OSD, ICSL

The Competent Authority has also approved that the Chairperson may co-opt more members if needed.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

Delhi The 17th May, 2024

JOINT REGISTRAR-ESTA

UNIVERSITY OF DELHI

Ref. Estab.II(i)/010/2017/25/ 644 Dated: 17.05.2024

Copy to:

- 1. The Dean of Colleges, University of Delhi.
- 2. The Director/Joint Director, South Delhi Campus, University of Delhi.
- 3. The Registrar, Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, Opposite St. James Church, Kashmere Gate, Delhi-110006
- 4. The Registrar, Guru Gobind Singh IP University, Sector-16C, Dwarka, Delhi-110078.
- 5. The OSD, Institute of Cyber Security and Law, University of Delhi.
- 6. The Officiating Director, Delhi University Computer Centre, University of Delhi with a request to upload the Notification on Delhi University website.
- 7. The PS/SPA/PA to the VC/Dean of Colleges/Director SDC, University of Delhi.
- 8. The Section Officer-R.O./Estab.-I/Fin.-1/Tele./General/Estate, University of Delhi.
- 9. Prof./Dr./Sh._____

ASSISTANT REGISTRAR-ESTAB.(N/T)



दिल्ली विश्वविद्यालय स्थापना शाखा-II(i)

अधिसूचना

दिल्ली विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी की अनुशंसा पर साइबर सुरक्षा एवं कानून संस्थान (आईसीएसएल) के अंतर्गत साइबर सुरक्षा एवं कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीसीएसएल) के पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए निम्नलिखित समिति का गठन तत्काल प्रभाव किया जाता है:

- 1. प्रो. संजीव सिंह, संयुक्त निदेशक, दक्षिणी दिल्ली परिसर
- 2. प्रो. ए.के. महापात्र, इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय
- 3. डॉ. अनुराधा चुग, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय
- 4. डॉ. आशीष जोशी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय
- 5. श्री आशीष गुप्ता, उद्योग विशेषज्ञ
- श्री गौरव व्यास, उद्योग विशेषज्ञ
- 7. डॉ. क्षितिज कुमार सिंह, विधि संकाय
- 8. प्रो. अजय जयसवाल, ओएसडी, आईसीएसएल

- सदस्य सचिव

अध्यक्ष

सक्षम प्राधिकारी ने यह भी मंजूरी दी है कि आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष अधिक सदस्यों को सहयोजित कर सकते हैं।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जा रही है।

दिल्ली

17 मई, 2024

えっとのえいろ संयुक्त कुलस्टिवि -यापना (गै.शै.)

दिल्ली विश्वविद्यालय

संदर्भ: स्थाप.II(i)/010/2017/25/ 644 दिनांक: 17 मई, 2024

<u> प्रतिलिपि:</u>

- अधिष्ठाता, महाविद्यालयों, दिल्ली विश्वविद्यालय।
- 2. निदेशक/ संयुक्त निदेशक, दक्षिणी दिल्ली परिसर, दिल्ली विश्वविद्यालय।
- कुलसचिव, इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, सेंट जेम्स चर्च के सामने, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006।
- 4. कुलसचिव, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, सेक्टर-16 सी, द्वारका, दिल्ली-110078।
- 5. ओएसडी, साइबर सुरक्षा और कानून संस्थान (आईसीएसएल), दिल्ली विश्वविद्यालय।
- कार्यवाहक 'निदेशक, दिल्ली विश्वविद्यालय कंप्युटर सेंटर को इस अधिसूचना को दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का अनुरोध है।
- 7. अ. अधि.-कुलसचिव कार्यालय/स्थाप.शाखा-।/वित्त.-।/दूरभाष/सामान्य/संपदा, दिल्ली विश्वविद्यालय।
- 8. निजी सचिव/वरिष्ठ निजी सहायक/निजी सहायक-कुलपति/अधिष्ठाता, महाविद्यालयो/विदेशक दक्षिणी दिल्ली परिसर, दिल्ली विश्वविद्यालय।

सहायक कुलसचिव - स्थापना (गै.१.)